

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारीलाल पुत्र

158/22

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का ~~खाने रानी नाल~~ व भू.अ.नि. वृत्त ~~दोदेल कला~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~चाकसू~~ / नायब तहसीलदार ~~चाकसू~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~जयपुर~~ ^{भगवानपुरा} तहसील ~~चाकसू~~ व जिला ~~जयपुर~~ की जमाबंदी सम्वत् ~~2025~~ ²⁸ में खाता संख्या ~~95~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भगवानपुरा	95	गिरधारीलाल पुत्र चाकसू	गिरधारीलाल पुत्र चाकसू

शिविर प्रभारी
उपखण्ड लोक अदालत
चाकसू जयपुर।
दि 17.12.22

क्रमांक:- राजपत्र/2021/3797

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील ~~चाकसू~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~गिरधारीलाल पुत्र चाकसू~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जयपुर।